



2026:AHC:21907
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या 1322 वर्ष 2026

मुन्ना लाल
बेनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी(गण)

: अभिषेक मिश्रा, उत्कर्ष त्रिपाठी
: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष त्रिपाठी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने न्यायालय में कथन दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय नवीन स्तर पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि 21.10.2024 को लखनऊ पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षा के बाद याचिकाकर्ता का वेतन, जो 20.07.2024 को निर्धारित किया गया था, 58,600/- रुपये सही पाया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद दो आदेश पारित किए गए, एक 30.07.2025 को और दूसरा 10.09.2025 को, जिनके द्वारा वेतन का पुनर्निर्धारण और वसूली करने का प्रयास किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता के हित के विरुद्ध की गई यह पूरी प्रक्रिया याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना, एकतरफा और उसकी पीठ पीछे की गई है। याचिकाकर्ता का यह भी मूल तर्क है कि प्रत्यर्थियों ने पहले ही एक जांच की थी जिसके परिणामस्वरूप कोई अवैधता नहीं पाई गई। हालांकि, धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी के किसी भी आरोप के बिना, बिना सूचना दिए वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है और पुनर्निर्धारण किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चुनौती दिए गए आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, नियोक्ता के लिए सभी त्रुटियों को सुधारने का अवसर हमेशा खुला रहता है, हालांकि, सुनवाई का अवसर अनिवार्य और पूर्व शर्त है।

5. मैंने पीठ पर की गई दलील सुनी है और अभिलेख का परिशालन किया है।

6. याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुनर्निर्धारण और वसूली की पूरी प्रक्रिया याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना गुपचुप तरीके से की जा रही है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इसमें कोई धोखाधड़ी, छिपाव या गलतबयानी नहीं हुई है। न्यायालय की राय में, यद्यपि प्रत्यर्थियों को हुई गलती को सुधारने की स्वतंत्रता है, लेकिन उनका यह अधिकार है कि याचिकाकर्ता या प्रभावित पक्षों को सूचित किया जाए। चूंकि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इसलिए विवादित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता।

7. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है-

(क) एसएसपी एटा द्वारा दिनांक 03.07.2025 और 10.09.2025 को पारित आदेश अपास्त किए जाते हैं:

(ख) याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए मामला प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2 फरवरी, 2026
राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"